Committee Report on Employees' State Insurance Corporation (ESIC) and Employees' Provident Fund (EPF) arrears;

(b) if so, which are the recommendations accepted by Government so far; and

(c) by when the remaining recommendations of the Committee are likely to be accepted by Governmentsmsfrt?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

अहमदाबाद की रामकृष्ण मिल को कामगारों की सहकारी समिति के सुपुर्द किए जाने संबंधी फैसला

45. **श्री चिमनभाई मेहता :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद की रामकृष्ण मिल को कामगारों की सहकारी समिति के सुपुर्द कर देने का निर्णय सुनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दिया जाना।

46. **श्री अजीत जोगी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जर्मनी द्वारा सहायता प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत बाल श्रमिक प्रथा के उन्मूलन हेतु बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी ए. संगमा) : (क) जी, हां, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित "अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संबंधी उन्मूलन कार्यक्रम", जो कि अधिकांशत: जर्मनी द्वारा सहायता प्राप्त है, के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के कल्याण एवं बाल श्रम उन्मूलन के लिए परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ख) एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)

(ग) प्रश्न नहीं उठता।